36 29
317

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1936 (श0)

(सं0 पटना 577) पटना, मंगलवार, 8 जुलाई 2014

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

7 जुलाई 2014

सं0 ई2–2–111/2010/72—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार–राज्यपाल, बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ – (1) यह नियमावली बिहार निर्वाचन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 के नियम – 14 के बाद निम्नलिखित नया नियम 14 क जोड़ा जायेगा :–

   "14 (क) इस सेवा में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु बिहार निर्वाचन सेवा के पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा अवधारित सभी प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा परन्तु संस्थान द्वारा ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने के कारण प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
हुसैन यूसुफ रिजवी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 7th July 2014

No. E2-2-111/2010/72—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Election Service Rules, 2006.

1. Short title, extent and commencement-(1) These Rules may be called The Bihar Election Service (Amendment) Rules, 2014.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) This notification shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. (2) The follwing new rule 14 A shall be added after rule 14 of the Bihar Election Service Rules, 2006 :-

"14 (A) For promotion to the higher posts in this service it shall be essential for the officers of Bihar Election service to participate in all the trainings determined by the State Government, but the promotions will not be obstructed due to not holding the training in time by the institution".

By order of Governor of Bihar,
HUSSAIN YOUSUF RIZVI,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 577-571+100-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in